JRU NSS CELL

Webinar on "Save girl child with special reference to Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act"

Organised by Jharkhand Rai University, Ranchi in association with Subhash Yuva Manch, 09 July 2021

The Government of India has initiated and established a series of laws, acts and regulations to safeguard the interest of the Indian girl child and women. The Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act (PCPNDT) is a statute enacted to stop the female feticide that has resulted in declining female sex ratio in India said Hon'ble minister of health & family welfare & health higher education, Government of Jharkhand on 09th July 2021. He was addressing the delegates via video conference at a webinar called "Save girl child with special reference to Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act" organised by Jharkhand Rai University (JRU), Ranchi in association with Subhash Yuva Manch.

He appreciated the university for this initiative to aware the students about PCPNDT Act. Participants from academicians, students and other stakeholders convened to participate in this webinar.

Speaking on the occasion Prof. Dr. Savita Sengar, Vice Chancellor, Jharkhand Rai University delivered the welcome address and thanked to Hon'ble minister of health & family welfare for his continuous support and encouragement.

She said The Act also prohibits any kind of advertisements on pre-conception and pre-natal sex determination of foetus. The Act provides for three years imprisonment and fine up-to ten thousand rupees as punishment.

"We are happy to collaborate with Jharkhand Rai University and it's NSS Cell for the webinar so that students get opportunities to aware about PCPNDT Act.

While giving the vote of thanks, Dr Piyush Ranjan, Registrar, Jharkhand Rai University encouraged all the student participants to take benefit of this platform and aware themselves with skills that will be helpful to seek awareness about PCPNDT Act.

More than five hundred participants from various institutes, colleges and universities from Jharkhand participated in this webinar

नारी की विलक्षण प्रतिभा पुरुषों से कम नहीं : बन्ना गुप्ता

हजारीबाग नारी की विलक्षण प्रतिभा पुरुषों से कम नहीं होती है, इसलिए नारी की आजादी पर कुठाराघात एक सामाजिक अपराध है। नारी सदैव पूजनीय होती हैं । उक्त बातें झारखंड राय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में %पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम% पर सेव गर्ल चाइल्ड विषयक एक दिवसीय वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि महिला कभी निराश्रित नहीं, बल्कि आश्रयदात्री रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भ्रूण हत्या एवं दहेज प्रथा समाज में दो प्रचलित कुप्रथाएं है, जिसका मैं प्रबल विरोधी हूं। नारी का लिंगानुपात घटना चिंतन का विषय है। झारखंड में आठ सौ छप्पन अल्ट्रासाउंड केंद्र है, परंतु लिंग परीक्षण करना अपराध है। इसके संकेत मिलने पर जिलाध्यक्ष चिकित्सक पर धारा 2,17 एवं 18 के साथ निश्चित करवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डोकोय ऑपरेशन के तहत लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को इनाम भी दिया जाता है। लिंग परीक्षण संविधान विरुद्ध कार्य है । स्वास्थ्य मंत्री ने अपने की चीर-परिचित अंदाज में %मानव -मानव से प्यार करें% कि कविता पाठ में नारी की तुलना कौशल्या, यशोदा मैया, झांसी की रानी,झानो एवं फूलों, कल्पना चावला ,सानिया मिर्जा, किरण बेदी ,मां दुर्गा, धनलक्ष्मी, विद्या दायिनी सरस्वती आदि वीरांगन एवं असीमित शक्तियों से किया। स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि भारत नारी प्रधान देश है, तथा लक्ष्मी एवं विद्या की सभी शक्तियां होते हुए भी सभी शक्तियां विदेशों में चली जाती हैं, जो चिंतन- मनन करने की बात है। अपने अध्यक्षीय एवं स्वागत संबोधन में झारखंड राय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ सविता सेंगर ने कहा कि देश में कन्या भ्रूण हत्या एवं उसकी लिंगानुपात रोकने के लिए भारत की संसद में पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व तकनीक अधिनियम को संघीय अधिनियम माना गया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को संवैधानिक आजादी से जीने का अधिकार है। वेबिनार में राज्य परीक्षण समिति के सदस्य प्रो पारस नाथ मिश्रा ने कहा कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार गठन के बाद राज्य परीक्षण आयोग गठन किया गया है, जो झारखंड का पहला आयोग गठन है। पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के उल्लंघन करने पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। यह अधिनियम प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। झारखंड राय विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा पीयूष रंजन ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस अधिनियम को एनएसएस के माध्यम से गोद लिए गांव में जागरूकता लाने स्वरूप चलाया जाएगा। वेबिनार का संचालन डॉ हरमीत कौर ने किया। इस वेबिनार में मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक प्रो रघुवंश , डॉ प्रशांत जयवर्धन, मार्खम कॉलेज ,हजारीबाग के पीओ बीएन सिंह समेत काफी संख्या में प्रतिभागीगण उपस्थित थे।

जनता दरबार में उपायुक्त आदित्य रंजन

कोडरमा। समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में उपायुक्त आदित्य रंजन ने फरियाद लगाने पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी और फिर उनके निदान के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। जनता दरबार में राम प्रसाद सिंह पहरीडीह ने अपने जमीन के दाखिल खारिज करवाने हेतु समस्या से उपायुक्त को अवगत कराया। उपायुक्त ने मामले की जांच करने हेतु स्थापना उप समाहर्ता को निर्देश दिया। मुकेश यादव ग्राम गैड़ा प्रखंड जयनगर और अर्जुन कुमार रजक ग्राम हरिनो प्रखंड चंदवारा ने कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षक के रुप में नियुक्त करने से संबंधित आवेदन दिया। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त बालदेव पंडित लिपिक, अनुमंडल कार्यालय कोडरमा के द्वारा स्थानांतरण स्थगन हेतु उपायुक्त से गुहार लगायी है। आवेदन के माध्यम से उन्होंने बताया कि मैं ब्लड सुगर एवं अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हूं एवं जमीनी विवाद को लेकर मेरा परिवार का जान-माल का खतरा बना रहता है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए स्थानांतरण स्थगन पर विचार करें। उक्त मामले पर उपायुक्त ने स्थापना उप समाहर्ता को कार्रवाई करने निर्देश दिये। जिले में कोविड संक्रमण से बचाव हेतु जनता दरबार में आने वाले फरियादियों ने मास्क पहना एवं शारीरिक दूरी का पूर्ण रुप से पालन कराया गया।

नारी की विलक्षण प्रतिभा पुरुषों से कम नहीं : बन्ना गुप्ता

राष्ट्रीय सागर संवाददाता

हजारीबाग : नारी की विलक्षण प्रतिभा पुरुषों से कम नहीं होती है, इसलिए नारी की आजादी पर कुठाराघात एक सामाजिक अपराध है। नारी सदैव पूजनीय होती हैं । उक्त बातें झारखंड राय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में 'पूर्व गभार्धान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम' पर सेव गर्ल चाइल्ड विषयक एक दिवसीय वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि महिला कभी निराश्रित नहीं, बल्कि आश्रयदात्री रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भ्रूण हत्या एवं दहेज प्रथा समाज में दो प्रचलित कुप्रथाएं है, जिसका मैं प्रबल विरोधी हूं। नारी का लिंगानुपात घटना चिंतन का विषय है। झारखंड में आठ सौ छप्पन

अल्ट्रासाउंड केंद्र है, परंतु लिंग परीक्षण करना अपराध है। इसके संकेत मिलने पर चिकित्सक पर धारा 2,17 एवं 18 के साथ निश्चित करवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डोकोय ऑपरेशन के तहत लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को इनाम भी दिया जाता है। लिंग परीक्षण संविधान विरुद्ध कार्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने की चीर- परिचित अंदाज में 'मानव - मानव से प्यार करें' कि कविता पाठ में नारी की तुलना कौशल्या, यशोदा मैया, झांसी की रानी, झानो एवं फूलों, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, किरण बेदी, मां दुर्गा, धनलक्ष्मी, विद्या दायिनी सरस्वती आदि वीरांगन एवं असीमित शक्तियों से किया। स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि भारत नारी प्रधान देश है, तथा लक्ष्मी एवं विद्या की सभी शक्तियां होते हुए भी सभी शक्तियां विदेशों में चली जाती हैं, जो चिंतन- मनन करने की बात है। अपने अध्यक्षीय एवं स्वागत संबोधन में झारखंड राय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ सविता सेंगर ने कहा कि देश में कन्या भ्रूण हत्या एवं उसकी लिंगानुपात रोकने के लिए भारत की संसद में पूर्व गभार्धान एवं प्रसव पूर्व तकनीक अधिनियम को संघीय अधिनियम माना गया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को संवैधानिक आजादी से जीने का अधिकार है।

JHARKHAND Rai University
RANCHI

NSS JRU, Ranchi

WEBINAR

Date : 9 July, 2021 | Time : 12:30 pm

Save Girl Child with special reference to Pre-Conception and **Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act** by **Subhas Yuwa Manch** jointly with **NSS Cell** & **Women Cell,** Jharkhand Rai University, Ranchi

Chief Guest
Shri Banna Gupta ji
Hon'ble Minister
Department of Health, Medical Education and Family Welfare,
Government of Jharkhand

Speaker
Mr. Paras Nath Mishra
Member, State Supervisory Board (PCPNDT Act) Jharkhand

Registration Link: https://tinyurl.com/yrxhdu2

Note : E Certificate for all participants after successful registration and submission of Feedback form at the end of the event.

Organized by NSS Cell & Women Cell, Jharkhand Rai University, Ranchi

/jharkhandraiuniversity /jharkhandraiuniversity /JhRaiUniv **www.jru.edu.in**